

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

बन्नालाल पिता उगमा रेगर नि. भरणीकलां

बनाम

भेरु पिता बकशा गाडरी नि. भरणीकलां वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 62 / 23

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये |
|------------|--|--|
| 21.06.23 | <p>प्रार्थना पत्र सिंगे से वाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम भरणीकलां प. ह. भरणीकलां तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 1490/443 रकबा 0.9720 हेक्टेयर, आ.न. 1668/426 रकबा 0.1080 हेक्टेयर कुल कित्ता 02 रकबा 1.0800 हेक्टेयर है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमावन्दी सम्वत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम भरणीकलां प. ह. भरणीकलां तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 1490/443 रकबा 0.9720 हेक्टेयर, आ.न. 1668/426 रकबा 0.1080 हेक्टेयर कुल कित्ता 02 रकबा 1.0800 हेक्टेयर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक रोपां को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जायें। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 21.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">Du उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा)</p> | |

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क्रमांक / शीडर / 2023 / 62 / 2023


दिनांक :- 21.06.2023

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय - प्र स 62/2023 अनवान बन्नालाल पिता उगमा रेगर नि. भरणीकलां बनाम
भेरु पिता बकशा गाडरी नि. भरणीकलां, मगना पिता खाना रेगर नि.
भरणीकलां, गोपाल पिता गोदु गाडरी नि. भरणीकलां, रामप्रसाद पिता उदा
मीणा नि. भरणीकलां, रामधन पिता उदा मीणा नि. भरणीकलां, फोरु पिता
घासी रेगर नि. भरणीकलां, महावीर पिता घासी रेगर नि. भरणीकलां, रामदेव
पिता रूपा रेगर नि. भरणीकला वगैरा की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम भरणीकलां प. ह. भरणीकलां
तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 1490/443 रकबा 0.9720 हेक्टेयर, आ.न. 1668/426 रकबा
0.1000 हेक्टेयर कुल कित्ता 02 रकबा 1.0800 हेक्टेयर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में
पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक रोपां को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर
फीस 500 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा. उनमें से 100 रूपये
राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया
जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

